कार्यालय मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः–CE-I/RHB/2014/ 272 दिनांक 14/7/2014

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 में बिन्दु संख्या 222.22 पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में आदेशित किया जाता है कि :–

1. जयपुर सहित अन्य सभी बडे शहरों में जहॉ सीमित भूमि उपलब्ध है वहॉ सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी आवेदकों को निम्न प्रक्रियानुसार अनिवार्यतः फ्लेटस आवंटित किये जावें।

   (i) फ्लेट आवंटत की स्वीकार्यता के संबंध में सभी लम्बित आवेदकों को उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये "विकल्प पत्र जारी कर" एक विनिश्चित अवधि में अपने सहमति प्रस्तुत करने सूचित किया जावे। विकल्प पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो की अधिसूचित समयावधि में सहमति प्रस्तुत नहीं करने पर,फ्लेटस आवंटन के प्रति उनकी असहमति मानते हुये, मण्डल द्वारा बिना कोई अन्य अवसर प्रदान किये, पंजीकरण निरस्त कर, उनकी जमा राशि मण्डल नियमानुसार देय ब्याज सहित लौटाई जावें।

   (ii) उक्त आशय की एक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाई जावें।

   (iii)विकल्प पत्र में अधिसूचित समयावधि में सहमति प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को यथा शीघ्र उनकी वरियता एवं आय वर्गानुसार फ्लेट आवंटित किये जावे।

2. जिन शहरों/कस्बों में फ्लेटस निर्माण के लिय भी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहॉ पर सामान्य पंजीकरण योजनान्तर्गत प्रतिक्षारत आवेदकों के पंजीकरण निरस्त करते हुये उनकी जमा राशि मण्डल नियमानुसार देय ब्याज सहित लौटाई जावें।

सभी उप आवासन आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को दिनांक 22.09.2014 तक आवश्यक रूप से सूचित करेगें कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की अक्षरशः पालना कर दी गई है।

ह०
(जी.एस. बाघेला)
मुख्य अभियन्ता–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहयक, सचिव/वित्तीय सलाहकर/ मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय/जोधपुर/पीएण्डएम/ अति. मुख्य नगर नियोजक, रा. आ.मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत–................. रा.आ.मण्डल।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......... रा.आ.मण्डल।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) रा.आ.मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकरी, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता–प्रथम